राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 16720/2021

1. मनोज पालीवाल पुत्र मांगीलाल जी पालीवाल, उम्र करीब 37 साल, निवासी भगवान्दा खुर्द, राजसमंद।
2. मनोज जोशी पुत्र कैलाश जोशी, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी पसुन्द, राजसमंद।

----अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, पंचायती राज विभाग, अपने प्रमुख सचिव, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजसमंद।
3. ग्राम पंचायत पसुंद, सचिव के माध्यम से, पंचायत समिति राजसमंद, जिला राजसमंद।
4. सरपंच, ग्राम पंचायत पसुन्द, पंचायत समिति राजसमंद, जिला राजसमंद।

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री संदीप सरूपरिया

प्रतिवादी(गण) के लिए : श्री फाल्गुन बुच

प्रतिवादी संख्या 3 और 4 के लिए

माननीय श्री न्यायमूर्ति विनीत कुमार माथुर

आदेश

रिपोर्ट करने योग्य

15/04/2024

1. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के अनुरोध पर, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को तामील से छूट दी जाती है क्योंकि वह उनके खिलाफ रिट याचिका पर जोर नहीं दे रहा है।

2. पक्षों के विद्वान वकील की सहमति से, रिट याचिका को अंतिम निपटान के लिए लिया जाता है।

3. वर्तमान रिट याचिका ग्राम पंचायत, पसुन्द, पंचायत समिति राजसमंद द्वारा पारित दिनांक 25.09.2021 के नोटिस/आदेश के विरुद्ध दायर की गई है, जिसके तहत याचिकाकर्ताओं को 19,26,680/- रुपए की राशि जमा कराने का आदेश दिया गया है।

4. संक्षेप में, वर्तमान रिट याचिका में तथ्य यह है कि ग्राम पंचायत, पसुंद ने दिनांक 05.01.2019 के नोटिस के माध्यम से मार्बल स्लरी को हटाने और डंप-यार्ड में डंप करने के लिए निविदाएं आमंत्रित कीं। उच्चतम बोलीदाता होने के कारण याचिकाकर्ताओं को 30.01.2019 को अनुबंध/समझौता प्रदान किया गया और अनुबंध/समझौता के अनुसार, याचिकाकर्ताओं को अनुबंध के पैराग्राफ 4 में उल्लिखित राशि का भुगतान प्रति माह करना था। याचिकाकर्ताओं ने संचालन शुरू किया और जब वे समझौते के अनुसार काम कर रहे थे, तो कुछ मुद्दे सामने आए और कुछ कारणों से, याचिकाकर्ताओं का अनुबंध/समझौता दिनांक 13.03.2020 के आदेश के अनुसार समाप्त कर दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने इस न्यायालय के समक्ष एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 4098/2020 के रूप में एक रिट याचिका दायर की और इस न्यायालय ने नोटिस जारी करते हुए 13.03.2020 के आदेश के प्रभाव और संचालन पर रोक लगा दी। इसलिए याचिकाकर्ताओं ने पक्षों के बीच किए गए समझौते के अनुसरण में डंपिंग की गतिविधियों को जारी रखा। समझौते की अवधि के दौरान, कुछ समय के लिए, याचिकाकर्ता विभिन्न कारणों से अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ थे, जिनका उल्लेख रिट याचिका के पैराग्राफ 5 में किया गया है। रिट याचिका के पैराग्राफ 5 में उल्लिखित 4 अवधियों में से, मार्च 2020 से जून 2021 की अवधि COVID-19 महामारी के प्रकोप की अवधि थी और महामारी के कारण, सभी औद्योगिक संचालन बंद थे और अधिकांश समय लॉकडाउन लागू था और इसलिए, याचिकाकर्ता अनुबंध/समझौते के अनुसार अपना हिस्सा नहीं निभा सके। इन्हीं कारणों से याचिकाकर्ता ग्राम पंचायत पसुंद में अनुबंध राशि जमा नहीं करा सके, इसलिए ग्राम पंचायत पसुंद ने 25.09.2021 को 19,26,680/- रुपए की वसूली नोटिस (अनुलग्नक 7) जारी किया। इसलिए वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।

5. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता संविदात्मक दायित्वों का अपना हिस्सा निभाने के लिए तैयार और इच्छुक थे, हालांकि, देश में कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण उनके नियंत्रण से परे स्थिति पैदा हो गई थी और इसलिए, वे अनुबंध का अपना हिस्सा नहीं निभा सके

और इस प्रकार, अनुलग्नक 7 के तहत ग्राम पंचायत पसुंद द्वारा आदेशित वसूली मनमाना, अनुचित और अवैध है।

6. विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि मार्च 2020 से जून 2021 तक (अधिकांश समय) देश में लॉकडाउन के कारण कोई औद्योगिक गतिविधि नहीं थी और चूंकि कोई औद्योगिक गतिविधि नहीं थी, इसलिए संगमरमर के घोल को उठाने और डंप करने का कोई सवाल ही नहीं था और इस प्रकार, याचिकाकर्ता 30.01.2019 के अनुबंध/समझौते के अनुसार अपना हिस्सा निभाने की स्थिति में नहीं थे।

7. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता अपने नियंत्रण से परे कारणों से अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ थे और इसलिए वे "अनिवार्य घटना" की श्रेणी में आते हैं और इस प्रकार, ग्राम पंचायत द्वारा याचिकाकर्ताओं से भारी राशि की वसूली का आदेश पारित करना सही नहीं था। विद्वान वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता एक साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं और छोटे-मोटे अनुबंधों को पूरा करके अपनी आजीविका चलाते हैं और अगर इन परिस्थितियों में उनके खिलाफ 19,26,680/- रुपये की भारी वसूली का आदेश दिया जाता है, तो वे वित्तीय संकट में पड़ जाएंगे, जिसके परिणामस्वरूप उनके परिवार बेसहारा हो जाएंगे।

8. विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि समान परिस्थिति में, राज्य सरकार ने नदी-रेत उठाने के ठेके वाले ठेकेदारों को रॉयल्टी वसूली में छूट का लाभ दिया है, इसलिए, ठेकेदारों के मामले में राज्य सरकार द्वारा जो लाभ दिया गया था, वही लाभ लॉकडाउन के कारण याचिकाकर्ताओं को भी दिया जाना चाहिए। इसलिए, वह प्रार्थना करते हैं कि रिट याचिका को अनुमति दी जाए और 19,26,680/- रुपये की वसूली के 25.09.2021 के आदेश को रद्द कर दिया जाए।

9. इसके विपरीत, प्रतिवादी ग्राम पंचायत, पसुंद के विद्वान वकील ने याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों का पुरजोर विरोध किया और कहा कि याचिकाकर्ता अनुबंधात्मक समझौते के अपने हिस्से को पूरा करने के लिए बाध्य हैं और यदि वे ऐसा करने में असमर्थ हैं, तो प्रतिवादी जिम्मेदार नहीं हैं और अनुबंध/समझौते के अनुसार, प्रतिवादी-पंचायत याचिकाकर्ताओं द्वारा सहमत मासिक राशि प्राप्त करने की हकदार है।

10. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि दिनांक 30.01.2019 के समझौते में ऐसा कोई खंड नहीं है कि यदि कुछ शर्तों के कारण, यदि अनुबंध/समझौते का सम्मान नहीं किया जाता है, तो प्रतिवादी उनसे देय भुगतान की शर्त को शिथिल कर देंगे।

उन्होंने आगे कहा कि दिनांक 30.01.2019 के समझौते में ऐसा कोई खंड नहीं है जो प्रतिवादी-ग्राम पंचायत को महामारी की स्थिति के कारण या याचिकाकर्ताओं के नियंत्रण से परे कारणों से याचिकाकर्ताओं को देय राशि वसूल न करने से रोकता है।

11. विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि राज्य सरकार द्वारा नदी-रेत के रॉयल्टी संग्राहकों के ठेकेदारों से लॉकडाउन के कारण अनुबंध राशि की वसूली को माफ करने के प्रावधान जैसा कोई प्रावधान नहीं है और इसलिए, प्रतिवादी याचिकाकर्ताओं से अनुबंध राशि माफ करने की स्थिति में नहीं हैं। इसलिए, वह प्रार्थना करते हैं कि रिट याचिका को खारिज किया जाए।

12. मैंने बार में प्रस्तुत किए गए प्रस्तुतिकरण पर विचार किया है और मामले के प्रासंगिक रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।

13. यह सत्य है कि याचिकाकर्ताओं ने ग्राम पंचायत, पसुंद के साथ दिनांक 30.01.2019 के समझौते के तहत डम्पिंग-यार्ड में मार्बल स्लरी की डम्पिंग के लिए समझौता किया है। दिनांक 30.01.2019 के समझौते के अनुसरण में, याचिकाकर्ताओं ने मार्बल स्लरी की डम्पिंग के लिए सहमत राशि का भुगतान जारी रखा, हालांकि, कुछ अवधि के लिए, याचिकाकर्ता रिट याचिका के पैराग्राफ 5 में उल्लिखित अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा नहीं कर सके।

14. यह ध्यान देने योग्य है कि याचिकाकर्ता मार्च 2020 से जून 2021 तक की अवधि के लिए अनुबंध संबंधी दायित्वों का पालन नहीं कर सके, क्योंकि देश में कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण लॉकडाउन लगा हुआ था। चूंकि राजस्थान राज्य में कोई औद्योगिक गतिविधि नहीं थी और इसलिए याचिकाकर्ता 30.01.2019 के समझौते के अनुसार अपना हिस्सा निभाने में असमर्थ थे। कोविड-19 महामारी का प्रकोप याचिकाकर्ताओं के नियंत्रण से परे एक ईश्वरीय कृत्य था और इसलिए, इसके कारण, यदि याचिकाकर्ता अपने अनुबंध संबंधी दायित्वों को पूरा नहीं कर सके, तो उन पर ग्राम पंचायत, पसुंद को देय राशि का भुगतान करने का दायित्व नहीं डाला जा सकता। केवल इसलिए कि पक्षों के बीच किए गए संविदात्मक समझौते में कोई प्रावधान नहीं है, यदि ईश्वरीय कार्य द्वारा कोई स्थिति उत्पन्न हुई है जिसने पक्षों में से किसी एक को अपने दायित्व का हिस्सा निभाने में असमर्थ बना दिया है, तो उससे उत्पन्न होने वाली आकस्मिकता को ध्यान में रखना आवश्यक है जिससे पक्षों में से किसी एक को कोई कठिनाई न हो। वर्तमान तथ्यों के अनुसार, यदि लॉकडाउन के कारण, यदि याचिकाकर्ता अपने नियंत्रण से परे कारणों से अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ हैं, तो उन पर

याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादी ग्राम पंचायत के बीच किए गए समझौते के अनुसार राशि का भुगतान करने का दायित्व नहीं डाला जा सकता है। इस प्रकार, इस न्यायालय का विचार है कि यदि किसी अनुबंध की अवधि के दौरान मानवीय नियंत्रण से परे स्थितियाँ घटित होती हैं और अनुबंध/समझौते में उनका उल्लेख नहीं किया गया है या उन्हें लिखा नहीं गया है, तो समानता को संतुलित करने और न्यायसंगत और उचित निर्णय पर पहुँचने के लिए पक्षों के बीच विवाद का निपटारा करते समय उन पर विचार किया जाना आवश्यक है।

15. "अप्रत्याशित घटना" का सिद्धांत लागू होता है, जिसके अनुसार यदि ईश्वरीय कार्य के कारण अनुबंध का कोई पक्षकार अपना कार्य करने में असमर्थ है, तो जो पक्षकार अपना कार्य करने में असमर्थ है, उस पर दायित्व का बोझ नहीं डाला जा सकता, जिससे कठिनाई हो सकती है।

16. वर्तमान याचिकाकर्ताओं का मामला भी उसी आधार पर है, जिसमें राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण लॉकडाउन के कारण नदी-रेत उठाने के लिए रॉयल्टी की वसूली के लिए ठेकेदारों को लाभ प्रदान किया है और इसलिए, यह न्यायालय महसूस करता है कि उसी सिद्धांत पर, याचिकाकर्ता भी 30.01.2019 के समझौते के अनुसरण में देय राशि की वसूली की छूट का लाभ पाने के हकदार हैं।

17. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एआईआर 1954 एससी 44 में रिपोर्ट किए गए सत्यव्रत घोष बनाम मुगनीराम बांगुर एंड कंपनी एवं अन्य के मामले में निम्नलिखित निर्णय दिया:

> 9. ..... दूसरा पैराग्राफ़ उस कार्य की असंभवता या अवैधता के कारण अनुबंध के निर्वहन से संबंधित कानून को स्पष्ट करता है जिसे करने के लिए सहमति व्यक्त की गई है। इस पैराग्राफ़ के शब्द काफी सामान्य हैं, और यद्यपि इसके साथ संलग्न उदाहरण बिल्कुल भी सुखद नहीं हैं, फिर भी वे अधिनियम में प्रयुक्त सामान्य शब्दों से अलग नहीं हो सकते। यह स्पष्ट है कि "असंभव" शब्द का प्रयोग यहाँ भौतिक या शाब्दिक असंभवता के अर्थ में नहीं किया गया है। किसी कार्य का निष्पादन शाब्दिक रूप से असंभव नहीं हो सकता है, लेकिन यह अव्यवहारिक हो सकता है और जब तक कि उस उद्देश्य और उद्देश्य के दृष्टिकोण से जो पक्षों ने देखा था; और यदि कोई अप्रिय घटना या परिस्थितियों में परिवर्तन उस

आधार को पूरी तरह से उलट देता है जिस पर पक्षों ने अपना सौदा रखा था, तो यह बहुत अच्छी तरह से कहा जा सकता है कि वादा करने वाले को वह कार्य करना असंभव लगता है जिसे करने का उसने वादा किया था।

12. इसलिए, हम मानते हैं कि निराशा का सिद्धांत वास्तव में अनुबंध के निर्वहन के कानून का एक पहलू या हिस्सा है, जो किए जाने वाले कार्य की असंभवता या अवैधता के कारण होता है और इसलिए भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 56 के दायरे में आता है। यह कहना गलत होगा कि अनुबंध अधिनियम की धारा 56 केवल शारीरिक असंभवता के मामलों पर लागू होती है और जहां यह धारा लागू नहीं होती है, निराशा के विषय पर अंग्रेजी कानून के सिद्धांतों का सहारा लिया जा सकता है।

यह भी माना जाना चाहिए कि भारतीय अनुबंध अधिनियम जिस सीमा तक किसी विशेष विषय से संबंधित है, वह उस पर संपूर्ण है और इन वैधानिक प्रावधानों के अलावा अंग्रेजी कानून के सिद्धांतों को आयात करना अनुमेय है। अंग्रेजी न्यायालयों के निर्णयों का केवल एक प्रेरक मूल्य होता है और यह दिखाने में सहायक हो सकता है कि इंग्लैंड के न्यायालयों ने उन परिस्थितियों में मामलों का फैसला कैसे किया है जो हमारे न्यायालयों के समक्ष आए हैं।

17. कानूनी सिद्धांतों को तैयार करने के तरीके में ये अंतर वास्तव में हमें चिंतित नहीं करते हैं जब तक कि हमारे पास भारतीय अनुबंध अधिनियम में एक वैधानिक प्रावधान है। इसमें हमें अनुबंध अधिनियम की धारा 56 में निर्धारित असंभवता या अवैधता के अनुसार चलना होगा, जिसमें 'असंभव' शब्द को उसके व्यावहारिक अर्थ में लिया गया है, न कि शाब्दिक अर्थ में। हालांकि, यह ध्यान में रखना चाहिए कि धारा 56 सकारात्मक कानून का नियम निर्धारित करती है और मामले को पक्षों की मंशा के अनुसार निर्धारित करने के लिए नहीं छोड़ती है।

> 18. इसलिए, ऐसे मामलों में, जहाँ न्यायालय को यह लगता है कि अनुबंध में ही निहित या स्पष्ट रूप से एक शर्त है, जिसके अनुसार कुछ परिस्थितियों के होने पर अनुबंध समाप्त हो जाएगा, अनुबंध का विघटन अनुबंध की शर्तों के तहत ही होगा और ऐसे मामले धारा 56 के दायरे से बाहर होंगे। हालाँकि अंग्रेजी कानून में इन मामलों को निराशा के मामलों के रूप में माना जाता है, लेकिन भारत में उन्हें भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 32 के तहत निपटाया जाएगा, जो आकस्मिक अनुबंधों या अधिनियम में निहित इसी तरह के अन्य प्रावधानों से संबंधित है।

18. यह न्यायालय दृढ़ता से इस बात पर सहमत है कि याचिकाकर्ताओं को उनके नियंत्रण से परे कारणों से अनुबंध के अपने हिस्से को पूरा करने से पर्याप्त साधनों द्वारा रोका गया था और इसलिए, यदि 25.09.2021 के आदेश के अनुसार वर्तमान याचिकाकर्ताओं के खिलाफ वसूली जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तो यह उनके लिए कठिनाई पैदा करेगा, बिना उनकी किसी गलती के। यहां तक कि भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 56 के अनुसार, याचिकाकर्ताओं को पर्याप्त कारणों से रोका गया था और वे असंभव स्थिति के कारण अनुबंध के अपने हिस्से को पूरा करने में असमर्थ थे और इसलिए, वे मासिक किराए की छूट के हकदार हैं।

19. याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत एक आवेदन पर प्रतिवादियों द्वारा दायर उत्तर के अनुसार भी प्रतिवादियों ने स्वीकार किया है कि कार्य 10 महीने अर्थात मार्च 2020 से जून 2021 तक के लिए स्थगित किया गया था, न कि 12 महीने के लिए।

20. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, वर्तमान रिट याचिका स्वीकार किए जाने योग्य है और इसे आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है। दिनांक 25.09.2021 के आदेश को मार्च 2020 से जून 2021 तक की अवधि के लिए आदेशित वसूली की सीमा तक रद्द किया जाता है। प्रतिवादी - ग्राम पंचायत, पसुंद वर्तमान याचिकाकर्ताओं के खिलाफ मार्च 2020 से जून 2021 तक की अवधि के लिए वसूली की राशि को माफ करते हुए राशि की पुनर्गणना करेगा। याचिकाकर्ता प्रतिवादियों द्वारा निर्धारित पुनर्गणना की गई राशि को प्रतिवादी संख्या 3 - ग्राम पंचायत, पसुंद द्वारा निर्धारित उचित किश्तों में जमा करेंगे।

21. स्थगन आवेदन के साथ-साथ अन्य लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा किया जाता है।

(विनीत कुमार माथुर),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।